# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 234/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/293**
**दायर दिनांक :– 31.08.2022 निर्णय दिनांक :– 12.03.2025**

1. जीवणराम पुत्र भीयाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. मुल्तानाराम पुत्र भीयाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. पतासी पत्नी बलवनताराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. पांचाराम पुत्र भीयाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. बीरबलराम पुत्र भीयाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. भाखरराम पुत्र पाबूराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

**–अप्रार्थी**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थित :–1.** श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
**2.** श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थी सं. 1

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 495/1 रकबा 5.0828 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का तरमीम अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की पूर्व में पटवारी हल्का से पैमाईश करवा कर ही पैमाईश व कब्जा काश्त अनुसार ही उक्त भूमि की तरमीम करवाई है। उक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के मुकदमा नम्बर 185/2007 निर्णय दिनांक 14.02.2008 की पालना में की गई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपती अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि को छोड़कर प्रार्थी की खातेदारी पर कब्जा करना चाहते है। इसलिये अस्थायी

12/3/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जावे कि ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 495/1 रकबा 5.0828 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की और से कोई उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की स्थित है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–:आदेशः–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 495/1 रकबा 5.0828 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि में दखलअंदाजी न करे व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

12/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)